

मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग
मंत्रालय, भोपाल।

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 08.2013

क्रमांक एफ 16-19/2013/बी-ग्यारह : मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लि. का राम नगर, जिला सतना में सीमेंट प्लांट की स्थापना का प्रस्ताव के संबंध में राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया कि परियोजना को उद्योग संवर्धन नीति एवं कार्ययोजना, 2010 (यथा संशोधित, 2012) अंतर्गत निम्नानुसार सुविधाएं दी जावे—

- (1). उद्योग निवेश संवर्धन सहायता— 75 प्रतिशत की दर से 10 वर्षों के लिये।
- (2). प्रवेश कर से छूट— प्रथम कच्चा माल क्रय दिनांक से 7 वर्षों के लिये।
- (3). केप्टिव पॉवर प्लान्ट से उत्पादित विद्युत पर विद्युत शुल्क से छूट बावत् विचार आस्थगित (Deferred) रखा गया।
- (4). परियोजना को 1.5 एमसीएम वार्षिक जल आवंटन इस शर्त के अध्याधीन प्रदान किया जावे कि कम्पनी जलापूर्ति हेतु बाणसागर परियोजना की नहरों की लाईनिंग पर होने वाले व्यय (रु 1 करोड़ प्रति 1 एमसीएम जल हेतु) तथा जल संसाधन विभाग द्वारा प्रभार्य उपभोक्ता शुल्क को वहन करने हेतु सहमत हो।
- (5). कम्पनी की अन्य मांगों को अमान्य किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एम.एस. सोलंकी)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

भोपाल, दिनांक 03-08.2013

पृ० क्रमांक एफ 16-19/2013/बी-ग्यारह,

प्रतिलिपि,

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग/वाणिज्यिक कर विभाग/ऊर्जा विभाग/जल संसाधन विभाग/खनिज साधन विभाग, भोपाल।
3. उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र. ड्रेड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कॉर्पोरेशन लि./एमपी स्टेट इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन लि. भोपाल। कम्पनी को निर्धारित समयावधि में प्रस्तावित निवेश करने सम्बंधी अनुबंध एम.पी. ट्राइफेक के साथ निष्पादित करना होगा।
5. आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा।
6. कलेक्टर, सतना।
7. प्रबंध संचालक, औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (रीवा) लि., रीवा
8. संयुक्त संचालक उद्योग, परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय, रीवा।
9. महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, सतना।
10. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लि., अहूरा सेन्टर, ए-विंग, द्वितीय तल, महाकाली केब्स रोड, अंधेरी (ई), मुम्बई-400093 कम्पनी को निर्धारित समयावधि में प्रस्तावित निवेश करने सम्बंधी अनुबंध एम.पी. ट्राइफेक के साथ निष्पादित करना होगा।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग